

## विज्ञप्ति:

विषय- 126 कि० मी० ऋषिकेश - कर्णप्रयाग बंडगेज रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु ।

उपरोक्त विषयक सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ऋषिकेश - कर्णप्रयाग बंडगेज रेल लाईन परियोजना हेतु तहसील रुद्रप्रयाग के 10 ग्रामों दैजीमाण्डा, खांकरा, नरकोटा, पुनाड, तिलणी, सुमेरपुर, रतूडा, मरोडा, मवाणा तथा नगरासू में निजी नाप भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। परियोजना से प्रभावित ग्रामों में नवीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम- 2013 तथा उत्तराखण्ड भूमि अंजन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात और सहमति) नियम 2015 के प्राविधानों के अनुरूप गठित समिति द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया जाना है। तहसील रुद्रप्रयाग के इन 10 ग्रामों हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु निम्नवत तिथियां एवं समय नियत किया जाता है।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम जिसमें भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की जानी है।	रा०उ०नि०क्षेत्र का नाम	समाघात सर्वेक्षण हेतु नियत तिथि	समय
1	2	3	4	5
1	दैजीमाण्डा	खेडाखाल	31.05.2016	10.00 बजे प्रातः
2	खांकरा	खेडाखाल	31.05.2016	2.00 बजे सायः
3	नरकोटा	काण्डई	01.06.2016	10.00 बजे प्रातः
4	पुनाड	पुनाड	01.06.2016	2.00 बजे सायः
5	तिलणी	तिलणी	02.06.2016	10.00 बजे प्रातः
6	सुमेरपुर	तिलणी	02.06.2016	2.00 बजे सायः
7	रतूडा	रतूडा	03.06.2016	10.00 बजे प्रातः
8	मरोडा	नगरासू	03.06.2016	2.00 बजे सायः
9	मवाणा	नगरासू	04.06.2016	10.00 बजे प्रातः
10	नगरासू	नगरासू	04.06.2016	2.00 बजे सायः

(चतरसिंह चौहान)  
उप जिलाधिकारी  
रुद्रप्रयाग

कार्यालय                      उप जिलाधिकारी                      रुद्रप्रयाग ।  
संख्या 1052/र०का०- रेलवे/2016                      रुद्रप्रयाग दिनांक 28 मई 2016

- 1- प्रधान ग्राम पंचायत, खांकरा/नरकोटा/सुमेरपुर/रतूडा/नगरासू/मवाणा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- क्षेत्र पंचायत सदस्य, खांकरा/रतूडा/नगरासू/मरोडा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- नगर पालिका सभासद वार्ड न०-01 तिलणी तथा वार्ड न०- 09 गुलाबराय नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग।
- 4- राजस्व उप निरीक्षक खेडाखाल/पुनाड/तिलणी/रतूडा/नगरासू को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियत तिथि को एस०आई०ए० हेतु ग्राम में उपस्थित रहें तथा अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत के सर्व सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों एवं प्रभावित होने वाले परिवारों/काश्तकारों/व्यवसायियों को अपने स्तर से एस०आई०ए० की तिथि से सूचित करना तथा क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
- 5- ग्राम विकास अधिकारी, काण्डई/सुमेरपुर/नगरासू को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियत तिथि को एस०आई०ए० हेतु ग्राम में उपस्थित रहें तथा अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
- 6- राजस्व निरीक्षक रुद्रप्रयाग को उक्तानुसार प्रचार प्रसार हेतु सूचनार्थ ।
- 7- खण्ड विकास अधिकारी अगस्त्यगुनि को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- तहसीलदार रुद्रप्रयाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- जविशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।